

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./प्रवेश/258/2015

दिनांक : 06/10/2015

सेवा में,

प्राचार्य/ प्रबंधक
समस्त महाविद्यालय
सम्बद्ध सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय
कानपुर।

विषय: काउन्सिलिंग हेतु बी०पी०एड० एम०पी०एड० एवं एम०एड० के प्रवक्ता अनुमोदन/कार्यरत होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि बी०पी०एड०, एम०पी०एड० एवं एम०एड० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सम्बन्ध में प्रवेश समिति ने अपनी बैठक दिनांक 03.10.2015 में निम्नलिखित निर्णय लिया है:-

उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुये समिति ने सर्वाम्मति से यह निर्णय लिया है कि एम.एड., बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड में 50 छात्रों की एक यूनिट के लिये NCTE द्वारा नवीन निर्धारित मानक के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्रवक्ताओं के अनुमोदन/कार्यरत होने की स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों को ही काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित कराया जाये। इस आशय की सूचना शपथपत्र सहित विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ को 12 अक्टूबर, 2015 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये। समिति ने ऑनलाइन काउंसिलिंग की तिथि 13 से 19 अक्टूबर, 2015 तक निर्धारित की। काउंसिलिंग से प्रवेशित छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा 31 अक्टूबर, 2015 तक पूरी करके विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ को 3 नवंबर, 2015 तक प्रवेशित छात्रों की विस्तृत विवरण सहित सूची उपलब्ध करायी जाये।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे आपके महाविद्यालय को आगामी काउन्सिलिंग में सम्मिलित किया जा सके।

भवदीय


कुलसचिव